भारत जैसे आदि कालीन देश में प्राचीन शहरों कस्बों व गांवों की भरमार है। ऐसे में इन जगहों पर 100 वर्ष व उससे पुराने भवन, स्मारक व धर्म स्थल मिलना आम बात है लेकिन सभी को संरक्षित राष्ट्रीय धरोहर घोषित नहीं किया जा सकता व उनमें से किसी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के सभी पैमाने मिलते हैं तो उसके लिए Prohibited व Regulated क्षेत्र घोषित करना आवश्यक नहीं। अगर किसी कारण विशेष से Prohibited व Regulated क्षेत्र घोषित करना भी पड़े तो उसे क्षेत्र के निवासियों को उसके एवज में सुरक्षित जगह व बाजार मूल्य का मुआवजा तुरंत दिया जाय। जगह के बदले में जगह व मुआवजा का प्रावधान होने से अकारण घोषित राष्ट्रीय स्माराकों को उस क्षेणी से बाहर कर दिया जायेगा व नये सिरे से उनकी घोषणा अति विशिष्ट कारणों से ही होगी।